FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

राष्ट्रीय लोक अदालत 18/06/2015

रामदेवा पुत्र चन्द्रया जाति रेगर निवासी ग्राम हबीबपुर तहसील गंगापुरसिटी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार,गंगापुरसिटी

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू–राजस्व अधि.1956 अपील संख्या 31/15

... हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज
...6/15	अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार,गंगापुरसिटी द्वारा मिसल संख्या 02/15 मे पारित आदेश दिनांक 20/02/15 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम हबीबपुर के आराजी खसरा नम्बर 360 रकवा 0.06 हैक्टर किस्म गै.मु.चरागाह पर संवत 2071 रबी मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने, फसल जब्त कर नीलामी के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर **प्रकरण निस्तारण हेतु राजस्व लोक अदालत मे रखी गई।** अपीलार्थी रामदेवा स्वंय उपस्थित हुआ। अपीलार्थी को सुना तो उसने अवगत कराया कि अपीलार्थी ने ग्राम हबीबपुर की आराजी खसरा नम्बर 360 रकवा 0.06 हेक्टर, किस्म गै.मु.चरागाह पर से अपना कब्जा हटा लिया है। मोके पर कोई कब्जा काश्त नही है तथा अपीलार्थी ने इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है तथा उक्त शपथ पत्र मे भविष्य मे अतिक्रमित आराजी पर कभी कब्जा नही करूगा का भी उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने भविष्य मे अतिक्रमित आराजी पर अतिक्रमण नही करने की सहमति भी जताई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी राजस्व लोक अदालत की भावना से आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली, शास्ति व फसल जब्त कर नीलामी का आदेश तो यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण नायब तहसीलदार,गंगापुरसिटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे स्वंय मोके पर जाकर जॉच करे कि अपीलार्थी का अतिक्रमित अराजी पर वर्तमान फसल रबि मे कब्जा काश्त रहा है अथवा नही। यदि बाद जॉच अपीलार्थी का कब्जा काश्त नही हो तो अपीलाधीन निर्णय मे पारित सिविल करावास की सजा को निरस्त समझे अन्यथा स्थिति मे सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत रहेगा। निर्णय आज दिनांक 18/06/15 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (कुंजबिहारी शर्मा) सदस्य (बलदेव सिंह हाडा) अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर